# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– **यशपाल आहूजा** आर.ए.एस.

उनवान :– **राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 507/2016**

1. रोबिनसिंह पुत्र श्री गुरजीतसिंह आयु 15 वर्ष जाति जटसिख निवासी चक 4 क्यू दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये कुदरतवली माता कुलदीपकौर पत्नी सुरजीतसिंह निवासी चक 4 क्यू दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – **प्रार्थी**

## –:: बनाम ::–

1. सोहनलाल
2. महेन्द्र
3. इन्द्राज
4. वेदप्रकाश
5. रामकुमार

पुत्रगण श्री इमारताराम जाति जाट निवासी चक 4 क्यू दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

6. कमला देवी पत्नी स्व. श्री रामप्रताप
7. सुभाषचन्द्र
8. विजय
9. वेदप्रकाश

पुत्रगण श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी चक 4 क्यू दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

10. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार गंगानगर।
11. गंगाजल पुत्र श्री डूगरराम सहारण
12. रेशमा पत्नी श्री स्व. सुखराम सहारण
13. मिलखराज पुत्र श्री स्व. सुखराम सहारण
14. भजनलाल पुत्र श्री स्व. सुखराम सहारण
15. कृष्णलाल पुत्र स्व. श्री गंगाजल सहारण

निवासी चक 4 क्यू दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

16. शारदादेवी पुत्री स्व. श्री सुखराम सहारण पत्नी श्री कृष्णलाल बैनीवाल पुत्र श्री हरीकृष्ण बैनीवाल निवासी गिररानी तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
17. देवीलाल पुत्र श्री गंगाजल सहारण (मृतक)
    - 17.1 गिरदावरी देवी पत्नी मृतक देवीलाल जाति जाट निवासी मुन्नावाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
    - 17.2 सुरेन्द्र सहारण
    - 17.3 जयपाल सहारण

    पुत्रगण स्व. देवीलाल जाति जाट निवासी मुन्नावाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)

    - 17.4 सुमन पुत्री देवीलाल सहारण पत्नी श्री चिमनलाल पुत्र श्री बृजलाल बुडानियां निवासी ग्राम रतनपुरा तहसील संगरिया जिला श्रीगंगानगर।
18. बेगराज पुत्र श्री गंगाजल सहारण निवासी मुन्नावाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)

– – **अप्रार्थीगण**

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

## –:: उपस्थित अभिभाषक ::–

| | |
|---|---|
| 1. श्री प्रदीप कुमार सिहाग अधिवक्ता | प्रार्थी |
| 2. श्री रामसिंह ढाका अधिवक्ता | अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 |
| 3. श्री जितेन्द्र सरपाल अधिवक्ता | अप्रार्थी संख्या 12 ता 15 व 18 |
| 4. अप्रार्थी संख्या 16, 17.1 ता 17.4 के विरूद्ध एक पक्षीय | दिनांक 27.04.2017 |

लगातार ..... 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

## – :: निर्णय ::–

दिनांक :– 05.06.2017

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम चक 4 क्यू के खाता संख्या 26/28 के मुरब्बा नम्बर 3 के मुश्तर्का खाता में 2.276 हैक्टर यानि 9 बीणा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रार्थी के पास मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 1, 11, 20, 21, 2, 9, 12, 19, 22 का कब्जा शान्ति पूर्वक तरिके से बिना किसी विवाद के चला आ रहा है।

चक 4 क्यू के खाता संख्या 53/52 में मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 23/1 की 0.164 हैक्टर कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 6 ता 9 के नाम बहिस्सा बराबर खाता संख्या 79/76 के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 23/2, 24, 25 एवम् खाता संख्या 72/68 के मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 21 सालम अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के नाम बहिस्सा बराबर नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में काश्त करनें हेतु अपनें कब्जा काश्त के मुरब्बा नम्बर 3 के पश्चिमी दिशा में स्थित क्यू माईनर नहरी की पटड़ी जो कि 66 फुट चौड़ी है से होते हुए अप्रार्थीगण के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 23, 24, 25 तथा मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 21, 22, 23 के पश्चिम से पूर्व दिशा की और होतु हुए मुरब्बा नम्बर 2 एवम् 3 के मध्य स्थित पक्के खाले पर निर्मित पुलिया के सहारे अपनें कब्जा काश्त की कृषि भूमि के किला नम्बर 2 से प्रवेश करता है एवम् कृषि कार्य करता है।

प्रार्थी द्वारा बताया गया रास्ता जो वह उपयोग कर रहा है, वर्षो से चलता आ रहा है, परन्तु यह राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। पटवारी के नजरी नक्शा में चालू रास्ता दर्शाया गया है।

प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आनें जानें हेतु मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 23, 24, 25 एवम् मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 21, 22 के रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। ना ही कोई मंन्जूर शुद्धा रास्ता है। प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 23, 24, 25 तथा मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 21 से अपनें कब्जा काश्त की कृषि भूमि जो कि मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 1 में स्थित है में प्रवेश कर अपनी कृषि भूमि में कृषि कार्य कर सकता है। प्रार्थी को उक्त रास्ता ही अपनी कृषि भूमि में कृषि भूमि में आनें जानें हेतु उपयुक्त एवम् लघुत्तम मार्ग है।

प्रार्थी नें अप्रार्थीगण को कई बार उक्त चालू रास्ता को सरकारी रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवानें हेतु कहा परन्तु वे टाल मटोल करते रहे एवम् दिनांक 25.05.2016 को बमुकाम चक 4 क्यू में साफ इन्कार हो गये।

प्रार्थी अप्रार्थीगण के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 23, 24, 25 व मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 21 में चाहे गये 1–1 बिस्वा रास्ते की भूमि के बदले में डी.एल.सी. दर से राशि एवम् भूमि के बदले भूमि देनें को तैयार है। तकनीकी दृष्टि से प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता एक मात्र रास्ता ही उपयुक्त है जिससे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आ–जा कर कृषि कार्य कर सकता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 4 क्यू के खाता संख्या 52/53 के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 23/1, खाता संख्या 79/76 के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 23/2, 24, 25 तथा खाता संख्या 72/68 के मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 21 में प्रत्येक किला के दक्षिणी हिस्सा की तरफ से पूर्व की और एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे।

तार ..... 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि के समस्त खातेदारान को पक्षकार बनाया गया है।

प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 2, 3, 4, 5 में से रकबा प्रत्येक में 1 बिस्वा खाला के साथ साथ रास्ता लेकर उसके बदले भूमि अथवा डी. एल.सी. दर से राशि जमा करवाकर रास्ता प्राप्त कर सकता है। तकनिकी व सुविधा की दृष्टि से यह विकल्प उपयुक्त है।

मौका पर मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 23, 24, 25 एवम् मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 23, 23 में से कोई रास्ता नहीं चल रहा है तथा मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 24 में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर पक्का कमरा बना हुआ है एवम् मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 25 में पक्की डिग्गी बनी हुई है। इन मुरब्बों में से कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है। एवम् न ही कोई प्रचलित रास्ता चल रहा है।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके अर्न्तगत कथन किया गया कि प्रार्थी अपनी भूमि में आनें जानें के लिये रास्ता जो मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 24, 25 के मध्य मन्जूर शुद्धा रास्त से होकर किला नम्बर 5 के उत्तरी सीमा से होकर मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 21, 22 के दक्षिणी सीमा से होते हुए किला नम्बर 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 के मण्य बीच में से होते हुए मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 22 में प्रवेश करता है जो हमेशा से ही इसी रास्ता से अपनी कृषि भूमि में आनें जानें के लिये इस रास्ता का उपयोग उपभोग कर रहा है। जो उसे अनकल्पिक रास्ता उपलब्ध है यदि अनुकल्पिक उपलब्ध हो तो अलग से रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

चक 4 क्यू के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 6, 7 तथा मुरब्बा नम्बर 3 का किला नम्बर 10 कुल 3 बीघा भूमि मेजरसिंह की खातेदारी भूमि है वह क्यू माईनर से मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 8, 9 से होते हुए मुरब्बा नम्बर 4 अपनें खेत में जाता है प्रार्थी की भूमि मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 10 से तीनो तरफ चिपती है सबसे उपयुक्त एवम् लघुतम जो मेजरसिंह अपनें खेत में जाता है प्रार्थी के लिये भी यही है।

प्रार्थी द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित मन्जूर करवानें वाला रास्ता कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है स्वीकृत चालू रास्ता के अभाव में प्रस्तावित रास्ता पर धारा 212 आर.टी.ए. में स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है।

प्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 25 में पक्की डिग्गी बनी हुई है तथा किला नम्बर 24 में एक कमरा बना हुआ है। तथा मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 21 में टयूबवैल है। व कमरे के रहते हुए मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 23, 24, 25 व मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 21 में रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी नें महज राजनैतिक रंजिश के आधार पर मुझ अप्रार्थीयान को तंग व परेशान करनें की नियम से रास्ता स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

अप्रार्थी संख्या 12, ता 15, व 18 द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके अर्न्तगत कथन किया गया कि मुरब्बा नबर 1 के किला नम्बर 23, 24, 25 एवम् मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 21 में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है, तो हम अप्रार्थीयान को कोई आपत्ति नहीं है। हम प्रार्थीयान किसी प्रकार से अपनें रकबा में से रास्ता देनें को सहमत नहीं है। हमारे रकबा में से ना तो कोई रास्ता चल रहा है। तथा ना ही हम अप्रार्थीयान रास्ता देनें को सहमत है। ना ही कानूनन स्वीकृत किया जा सकता है। क्यों कि मुरब्बा नम्बर 4 के

लगातार ..... 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

किला नम्बर 3, 4, 5 में से खाला स्वीकृत शुद्धा है। इस प्रकार ना तो खाला के साथ रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। रास्ता स्वीकृत करनें से खाला हमेशा टूटता रहेगा। तथा हम आर्थीयान को काश्त की असुविधा तथा कठिनाई होगी तथा नुकसान होता रहेगा। प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 8 में से रास्ता स्वीकृ करवाये तो उसके मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 7 को लग जायेगा जिससे केवल मात्र एक बीघा में से ही रास्ता स्वीकृत होगा जो कि सबसे छोटा व सुविधाजनक होगा एवम् प्रार्थी को भी 3 बीघा के स्थान पर केवल एक बीघा का ही रास्ता का मुआवजा देना पड़ेगा।

प्रार्थी नें क्यू माईनर की पटड़ी से होकर आवागमन करनें का कथन किया है जबकि किसी माईनर की पटड़ी कानूनन स्वीकृत रास्ता की परिभाषा में नहीं आती है इस प्रकार जब तक किसी स्वीकृत रास्ता से प्रस्तावित रास्ता का लिंक ना हो तक प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौराने बहस प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थी की भूमि में आनें जानें हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट में वर्णित वैकल्पिक रास्ता जो मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 2, 3, 4, 5 में से रकबा प्रत्येक में 1 बिस्वा खाला के साथ साथ रास्ता दर्शाया गया है को स्वीकृत किया जाता है तो भी प्रार्थी को कोई एतराज नहीं है। अतः रास्ता स्वीकृत किया जावे।

अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा दौरानें जबाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज करनें का निवेदन किया अपनी बहस के समर्थन में 2016(1) आर.आर.टी 649 एच.सी., 2003(1) आर.आर.टी 185 एच.सी., 2004(1) आर.आर.टी 109 एच.सी. तथा 2001(1) आर.आर.सी 53 की नजीर पेश की गई।

उभयपक्ष की बहसपर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वैकल्पिक रास्ता जो मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 2, 3, 4, 5 में से रकबा प्रत्येक में 1 बिस्वा खाला के साथ साथ दर्शाया गया है, को स्वीकृत किया जाना न्यायोचित पाया गया है।

## — :: आदेश ::—

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 4 क्यू के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 2, 3, 4, 5 में से रकबा प्रत्येक में 1 बिस्वा खाला के साथ साथ की भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है। रास्ते की भूमि के बदले में मुआवजा स्वरूप प्रार्थी द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र में रास्ता की भूमि या डी.एल.सी. देनें की सहमती व्यक्त की गई है। चुँकि मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 2, 3, 4, 5 में पूर्व में गैर मुमकिन खाला भी स्वीकृत है अतः इस कारण अप्रार्थी को गैर मुमकिन रास्ता की भूमि के बदले प्रार्थी का हिस्सा का अपनी खातेदारी भूमि में से हिस्सा कम करते हुए मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 1 में कुल 4 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण की भूमि के चिपती हुई भूमि दी जावेगी। गैर मुमकिन रास्ता सार्वजजिक उपयोग हेतु रहेगा।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता तथा रास्ते के मुआवजा स्वरूप किला नम्बर 1 में 4 बिस्वा दी जानें वाली भूमि का सम्बंधित काश्तकारन के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 05.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दौलतपुरा में मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्